क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	20/3/25	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। बहस वकील वादी की पूर्व में सुनी जा चुकी है। वादी की बहस सुनने एवं उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर हम पाते हैं कि स्वयं वादी ने दावा बाबत रहन दुरुस्ती का पेश किया है। आदेश 53 नियम (3) के प्रावधानों के अनुसार दावा वादी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर इस आदेश का अभिन्न भाग रहेगा। निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– शिवचरण शर्मा (आरएएस)

वाद संख्या :–51 / 2022 निर्णय दिनांक :– 13.03.2024

उनवान

1. उदयलाल
2. रामप्रसाद उर्फ परसराम (फोत दोराने दावा)

2/1 सीता देवी पत्नी रामप्रसाद

2/2 जितेन्द्र प्रसाद पुत्र रामप्रसाद

2/3 विजेन्द्र पुत्र रामप्रसाद

2/4 महेन्द्र सिंह पुत्र रामप्रसाद समस्त जाति जाट निवासी ग्राम बाजडोली तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0।

3. गोपाल पुत्रान मोटाराम
4. विमला पुत्री मोटाराम
5. कविता पुत्री कल्याण
6. विमला देवी पत्नी कल्याण
7. गणेश पुत्र बद्रीनारायण
8. जैराम पुत्र सुज्या
9. धन्नालाल की पत्नी नाना देवी
10. प्रभू देवी उर्फ प्रभावती देवी पत्नी जयराम
11. मुकेश उर्फ चरणसिंह पुत्र बद्रीनारायण

12 सुखा पुत्र रूगनाथ (फोत)

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम बाजडोली तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान।

––वादीगण

बनाम

1. रामचन्द्र
2. ग्याना पुत्र मांग्या
3. लाला पुत्र केसरा जाति जाट निवासी ग्राम बाजडोली तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान।

उपखण्ड अधिकारी

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर।

---प्रतिवादी

दावा बाबत रहन दुरूस्ती

वादीगण ने वाद निम्न प्रकार पेश किया कि वादीगण की सामलाती खातेदारी भूमि आराजी खसरा न0 416 रकबा 0.10 है०, खसरा न0 417 रकबा 0.05 है०, खत्तरा न0 418 रकबा 0.05 है०. खसरा न0 419 रकबा 0.05 है०. कुल किता 04 कुल रकबा 0.25 है० वाके ग्राम बाजडोली पटवार हल्का कुम्हारियावास तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्थित है। जो राजस्व रिकॉड में राहिन दर्ज है वादपत्र में उक्त राहिन दर्ज नाम ही वादग्रस्त है जिसे वादपत्र में आगे वादग्रस्त आराजी से संबोधित किया गया है। वादग्रस्त आराजी के पूर्व में साबिक नंबर 227 रकबा 1 बीघा थे जो वादीगण के पूर्वजो के नाम दर्ज रही जिस पर वादीगण के पुर्वज काबिज काश्त रहे व उनके पश्चात वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा उक्त राहिन का नोट वादीगण के पुर्वजो के समय से ही रिकोर्ड में दर्ज चला आ रहा है। जिसकी और वादीगण व उनके पूर्वजो का कभी ध्यान नहीं गया न ही उक्त रहन की जानकारी आज से पूर्व वादीगण व उनके पूर्वजो को रही है। कानुनन राजस्व रिकोर्ड में रहन का इन्द्राज प्रत्येक पांच वर्ष पश्चात हट जाना चाहिये लेकिन चुकि वादीगण कम पढे लिखे व ग्रामीण परिवेश के होने के कारण कभी भी राजस्व रिकोर्ड की और ध्यान नहीं दिया जिस कारण से उक्त राहिन आज तक राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज चली आ रही है जिस कारण वादीगण अपनी खातेदारी भुमि का मनचाहा उपयोग उपभोग नही कर पा रहे ना ही सरकारी योजनाओ का लाभ ले पा रहे है जिससे वादीगण को काफी आर्थिक परेशानी हो रही है इसलिये उक्त रहन के इन्द्राज को राजस्व रिकोर्ड से हटाया जाना अतिआवश्यक है। वादीगण को उक्त राहिन इन्द्राज की जानकारी नहीं रही वादीगण अपनी उक्त वर्णीत आराजी पर के.सी.सी लेने के लिये राजस्व कर्मियो से समपर्क कर राजस्व रिकोर्ड की

(2)

उपखण्ड अधिकारी

जानकारी की तो वादीगण को उक्त राहिन की सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हुई की वादीगण की वादग्रस्त आराजी पर रहन का इन्द्राज चला आ रहा है जिस पर वादीगण ने उक्त रहन का इन्द्राज राजस्व रिकॉड से हटाये जाने बाबत प्रार्थना पत्र राजस्व केम्प कुम्हारियावास में केम्प प्रभारी को दिया जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी इसलिये यह वाद मानय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है। वादीगण कई मर्तबा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 से उक्त रहन हटवाने बाबत निवेदन कर चुके है लेकिन प्रतिवादी संख्या 04 उक्त रहन के इन्द्राज को राजस्व रिकोर्ड से नहीं हटा रहे तथा वादीगण को मान्य न्यायालय से आदेश लाने की कहकर टालमटोल करते आ रहे है इसलिये भी यह वादपत्र मान्य न्यायालय के समक्ष पेश काना आवश्यक हुआ है। वादीगण व उनके पुर्वजो द्वारा प्रतिवादीगण को भी वादग्रस्त आराजी को रहन आदि नही किया है फिर भी वादग्रस्त आराजी पर रहन करा इन्द्राज दर्ज चला आ रहा है जिससे वादीगण को काफी कठनाईया हो रही इसलिये उक्त रहन को राजस्व रिकोर्ड से हटाया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 04 द्वारा मान्य न्यायालय से आदेश लाने की कही जाने से वादीगण के लिए आवश्यक हो गया कि वो वादग्रस्त आराजी में दर्ज चले आ रहे रहन के इन्द्राज को दुरस्त करवा कर राजस्व रिकोर्ड से हटवावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद करवावे जिससे वो वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार की रिकॉर्ड में ओर त्रुटि करे नहीं अन्य से करवावे। वादी के लिए वादकारण दिनांक 26.11.2021 को उक्त रहन की जानकारी होने व रहन हेतू राजस्व केम्प में प्रार्थना पत्र पेश किये जाने व प्रतिवादी संख्या 04 द्वारा न्यायालय आदेश लाने की कही जाने से उत्पन्न हुआ है। प्रतिवादी संख्या 04 भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया गया है जो राजस्व रिकॉर्ड की एन्ट्री करने वाला है। वादीगण बहक विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाकर वादग्रस्त आराजी वर्णित मद सं. 1 में वादीगण की खातेदारी भुमि मे वादीगण के नाम दर्ज चले आ रहे रहन के इन्द्राज को हटाये जाने के आदेश फरवाया जावे तथा उक्त रहन की दुरस्ती का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया जाकर प्रतिवादी संख्या 04 को आदेशित किया जावे ।

(21

उपखण्ड अधिकारी

दावा वादी वकील द्वारा पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार चाकसू को पत्र कमांक/राजस्व/2022/2029 दिनांक 30.03.2022 के द्वारा जवाब दावे का जवाब भिजवाने हेतु लिखा गया तो तहसीलदार चाकसू ने आदेश की पालना में पत्र कमांक आरएनटी/2022/178 दिनांक 14.06.2022 के द्वारा दावे का जवाब सरकार इस प्रकार भिजवाया गया कि मद संख्या 1 के कम में मुताबिक राजस्व जमाबंदी ग्राम बाजडोली संवत 2073–76 के खाता संख्या 176 ख० नं0 416 लगायत 419 कुल किता 4 कुल रकबा 0.25 है० की खातेदारी उदयलाल पुत्र मोटाराम वगै० के नाम संलग्न जमाबंदी अनुसार दर्ज है। उक्त समस्त खातेदारों के हिस्से पर राहिन रामचन्दर ग्याना पि० मांग्या लाला पुत्र केसरा का नोट अंकित है। मद संख्या 2 वादीगण मुताबिक साबिक रिकार्ड न्यायालय में स्वयं सिद्ध करें। मद संख्या 3 से 6 वादीगण स्वयं सिद्ध करें। मद संख्या 7 से 12 विधिक है। मद संख्या 13 (क) से 13 (ख) माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

जवाब सरकार के साथ पटवारी हल्का की रिपोर्ट पेश की गयी जो इस प्रकार रिपोर्ट पेश हुई कि ग्राम बाजडोली में वर्तमान खाता संख्या 176 किता 4 रकबा 0.25 है0 मे उदयलाल पुत्र मोटाराम हिस्सा 1/90 कविता पुत्री कल्याण हिस्सा 1/180, गणेश पुत्र बद्रीनारायण हिस्सा 1/180, गोपाल पुत्र मोताराम हिस्सा 1/10, जैयराम पुत्र सूज्या हिस्सा 1/15, नानादेवी पत्नि धन्नालाल हिस्सा 1/6, प्रभुदेवी उर्फ प्रभावती पत्नि जयराम हिस्सा 1/6, मुकेश उर्फ चरणसिंह पुत्र बद्रीनारायण हिस्सा 1/180 रामप्रसाद उर्फ परसराम पुत्र मोताराम हिस्सा 1/90, विमला पुत्री मोटाराम हिस्सा 1/90, विमला देवी पत्नि स्व कल्याण हिस्सा 1/180 सुखा पुत्र रूगनाथ हिस्सा 1/15, साझा पत्नि लालाराम हिस्सा 7/15 राहिन रामचन्दर ग्याना पि मांग्या लाला पुत्र केसरा के नाम रहन दर्ज है।

जवाब दावा इकबालिया पेश होने के कारण साक्ष्य शपथ पत्र पेश होने पर बहस वकील वादी की सुनी गयी व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज एवं जवाब सरकार का परीक्षण किया जाकर दावा वादी डिकि किया जाता है कि आराजी वर्णित मंद संख्या 1 वाके ग्राम बाजडोली

उपखण्ड अधिकारी

तहसील चाकसू के खसरा न0 416 रकबा 0.10 है०, खसरा न0 417 रकबा 0.05 है०, खत्तरा न0 418 रकबा 0.05 है०. खसरा न0 419 रकबा 0.05 है०. कुल किता 04 कुल रकबा 0.25 है० में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 43 (3) प्रावधानों में उल्लेखित समयावधि से अधिक समय से प्रतिवादीगणों के रहन दर्ज है तो स्वतः उन्मेचित हो चुकी है। तदनुसार रिकार्ड में दुरूस्ती की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

136

(शिवचरण शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)